परिशिष्ट "अ"
अतारांकित प्रश्न कमांक–3025
द्वारा –माननीय विधायक श्री राजेश कुमार प्रजापति

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 167 के अनुसार, "जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोकसेबक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का विनिर्माण, रचना या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनो में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 03 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जाएगा।"

17.2.21
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

गृह
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल